प्रपत्र आई0 डी0 – 1

सूचना

भॉग की थोक आपूर्ति के ठेके के लिए निविदा

इस सूचना के द्वारा भारत में स्थित किसी व्यवसायिक संस्था या व्यक्ति से 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 तक के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सित गोदामों में थोक रूप से अनुज्ञापित फुटकर विक्रेताओं को भांग देने का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए निविदा (टेण्डर)मांगे जाते हैं जो निविदाकर्ता मेरठ चार्ज के लिए टेण्डर देंगेण उन्हें देहरादून चार्ज के लिए तथा जो मुरादाबाद चार्ज के लिए टेण्डर देंगे, उन्हें नैनीताल चार्ज के लिए भी सम्मिलित रूप से टेण्डर देना अनिवाय होगा। एक टेण्डर फार्म पर अधिकतम दो चार्ज में स्थित बंधित आबकारी गोदामों के लिए भांग की थोक आपूर्ति हेतु टेण्डर दिया जा सकता है। मेरठ व देहरादून चार्ज के समूह को एक चार्ज तथा मुरादाबाद व नैनीताल चार्ज के समूह को एक चार्ज माना जाएगा। टेण्डर प्रस्तुत करने वाले को धरोहर की राशि के रूप में प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ दस हजार रूपये का बैंक ड्राफट प्रस्तुत करना होगा। जिसे टेण्डर के साथ धरोहर की राशि नहीं होगी उस पर विचार नहीं किया जायेगा। बैंक ड्राफट के अतिरिक्त धरोहर की राशि किसी शिडयूल्ड बैंक के फिक्सड डिपाजिट/डिपाजिट एट–काल के रूप में अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट/पोस्ट आफिस सेविंग चैक एकाउण्ट के रूप में जो आबकारी आयुक्त के नाम प्लेज्ड हो, के रूप में भी की जा सकती है।

2. भांग स्वतः उगी हुई होगी और सहारनपुर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, नौनीताल, खीरी, बहराईच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर और देवरिया जिलों में से किसी भी जिले से प्राप्त की जा सकती है। भांग सर्वात्तम प्रकार की होनी चाहिए।

3. टेण्डर दाता टेण्डर के साथ अपने निवास जनपद के जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा कि उसका चरित्र अच्छा है और आबकारी अपराधो में दण्डित नहीं है तथा उसके ऊपर आबकारी देयों का कोई बकाया नहीं है।

4. निवादा में भाग का प्रति किलोग्राम मूल्य, जिस पर कि निविदा देने वाला अपने क्षेत्र में आबकारी गोदामों पर देने को तैयार है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इस मूल्य में आबकारी (डयूटी) सम्मिलित नही होगी। आबकारी गोदामों की स्थिति परिशिष्ट के चाथे स्तम्भ में दी गई है।

एक ठेके के क्षेत्र में सब गोदामों पर मूल्य एक समान होगा। भांग के कलेक्शन, संचय व परिवहन की प्रचलित दरों के आधार पर आपूर्ति की कुल लागत, जो वर्ष 1991–92 हेतु वाराणसी व गोरखपुर, लखनऊ, नैनीताल, बेरली, देहरादून, मुरादाबार, फैजाबाद, कानपुर व मेरठ चार्ज के गोदामों के लिए रू0 2.50 प्रति कि0 ग्रा0 एवं इलाहाबाद, आगरा व झॉसी चार्ज के लिए रू0 3.00 प्रति कि0 ग्रा0 निर्धारित की गयी है, से कम दर का टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. अभिकर की प्रचलित दर के संबंध में सरकार को यह अधिकार होगा कि उसे ठेके की अवधि के पहले या उसके मध्य किसी भी समय आवश्यकतानुसार घटा बढ़ा सकती है। भांग की सन् 1989–90 की खपत के आंकड़े तथा वर्ष 1991–92 के अनुमानित खपत के आंकड़े संलग्न परिशिष्ट में प्रत्येक जिले के नाम के सामने अंकित है, किन्तु थेक आपूर्तक को अपने आपूर्ति क्षे. में सित गोदामों में उनकी मांग के अनुसार भांग की आपूर्ति करनी होगी। सरकार किसी निकासी का निश्चित आश्वासन नहीं देती और यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि नशाबन्दी या तत्सम्बन्धित प्रसार से ठेकेदार को अपने व्यवसाय में होने वाली हानि के उत्तरदायी न होते हुए मादक द्रव्यों की बिक्री की संख्या कम कर दे, निकासी पर रोक लगा दे या किसी ठेके के क्षेत्र में या उसके किसी भाग में मादक द्रव्यों के विक्रय या रक्षण पर अपने विवेकानुसार प्रतिबन्ध लगा दे और सरकार अपने अधिकार सुरक्षित रखती है कि मादक द्रव्य के ठेके की अवधि के पहले या उसके मध्य में क्रय मूल्य निर्धारित कर दे।

6. आबकारी बंधित गोदाम इस समय संलग्न परिशिष्ट के स्तम्भ–4 में दिये गये स्थानों पर स्थित है, किन्तु सरकार ठेके की अवधि में नया गोदाम खोलने और पुराना बन्द करने का अधिकार सुरख्ज्ञित रखती है। थोक आपूर्तक अपने क्षेत्र में सभी गोदामों में समय–समय पर सरकार की आज्ञानुसार भंग रखने, संचय करने तथा निकासी देने के लिए बाध्य होगा। भांग रखने तौलने तथा निकासी देने की सभी वस्तुयें आपूर्तक द्वारा दी जायेगी। नगरपालिका के गोदाम संबंधी समस्त कर आपूर्तक देगा।

7. मादक द्रव्यों की समुचित अभिरक्षा के लिए थेक आपूर्तक बंधित आबकारी गोदाम पर स्वतंत्रत रूप से शराब के ठेकेदार के साथ 1:3(एकःतीन) के अनुपात में वेतन देकर चौकीदार रखेगा। गोदाम में किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी पूर्ति करने का उत्तरदायित्व थोक ठेकदार पर होगा।

8. जहां सरकार द्वारा दिय हुए आबकारी बंधित गोदामों में पर्याप्त मात्रा में भांग रखने के लिए समूचित स्थान नहीं हैं, वहां ठेकेदार को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अपने व्यय पर कलेक्अर द्वारा स्वीकृत भवन और स्थान पर इस उद्देश्य के लिए गोदाम रखने पड़ेंगे।

9. छठी धारा के अनुसार बंधित गोदामों को दी हुई वस्तुयें आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। यदि ठेके की अवधि की समाप्ति पर ठेका पुराने ठेकेदार को नहीं मिले तो नेये ठेकेदार को यदि पुराना ठेकेदार चाहे, तो उसकी सभी वस्तूओं को मोल लेना होगा और संबंध में कोई विवाद उठने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। नया ठेकेदार निर्णय के एक मास के बाद निर्णीत मूल्य देने के लिए बाध्य होगा अन्यथा उसका ठेका रद्द किया जा सकता है और आबकारी आयुक्त पुराने ठेकेदार को दिया जाने वाला मूल्य नये ठेकेदार के खाते में किसी सरकारी खजाने में जमा किसी भी धन से काट कर दे सकते हैं।

10. गोदामों के सभी कार्य सरकारी देख–रेख में होंगे और इसे हेतु सरकारी स्टाफ का व्यय सरकार वहन करेगी।

11. निविदा(टेण्डर) संलग्न फार्म मुहरबन्द करके देना चाहिए। लिफाफे पर ''भांग की थोक आपूर्ति के लिए निविदा'' लिखा होना चाहिए और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 15.01.91 को 1.30 अपरान्ह तक पहुंच जाना चाहिए।
;373.

12. आबकारी आयुक्त का यह सुरक्षित अधिकार है कि वह जनहित में सर्वाधिक लाभप्रद निविदा को स्वीकार करे तथा अन्य प्राप्त निविदाओं में से किसी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करें।

13. उन व्यक्तियों या संस्थाओं को, जिनके निविदा स्वीकार किये गये हैं, के लिए यह आवश्यक होगा कि निर्णय की सूचना मिलन के सप्ताह के अंदर प्रत्येक यि गये ठेके के उचित निर्वाह के लिए जमानत के तौर पर 25000/– रू0 की धनराशि नकद या सरकारी सिक्योरिटी के रूप में जिसका तात्कालिक मूल्य 25000/– रू0 हो, जमा करे।

14. भांग के थोक आपूर्तक को दिया जाने वाला अनुज्ञा–पत्र संलग्न है, जिसकी एक प्रतिलिपि पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना होगा।
15. बिना आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के ठेकेदार न तो किसी व्यक्ति को साझे में ले सकात है और न अपने ठेके को हस्तान्तरित कर सकता है।

16. निविदा के साथ निविदा देने वाले को प्रचलित वर्ष या विगत वर्ष में यदि, उसके पास कोई आबकारी ठेका था, तो उसका पूरा विवरण देना चाहिए ताकि अधिकारियों को उसकी आर्थिक स्थिति का समुचित ज्ञान हो जाय। निविदा देने वाले को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह किसी और दिये गये निविदा में अथवा किसी और क्षेत्र के लिए दिय जाने वाले निविदा में भी स्वार्थ रखता है। ठेकेदार अपने ठेके के क्षेत्र की फुटकर बिक्री की किसी दुकान में किसी प्रकार का हिस्सा अथवा स्वार्थ नहीं रखेगा।

टिप्पणी :– यदि निविदा देने वाले द्वारा प्रस्तुत इस निविदा या अन्य किसी निविदा में सम्बन्धित विवरण–असत्य सिद्ध हुआ तो ठेका रद्द किया जा सकता है और जमानत की धनराशि अपहृत की जा सकती है निविदा देने वालो को सावधान किया जाताहै कि वह बिल्कुल मनगढ़ंत दरों पर सट्टेबाजी की भावना से निविदा पत्र प्रस्तुत न करें। ठेके की अवधि मेंदर के संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. टेण्डर स्वीकृत होने पर आपूर्तक को निर्धारित संचय केन्द्रों पर सुरक्षित गोदामों की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें भांग के भण्डारन/तौल आदि के लिए पर्याप्त स्थान चहारदिवारी अथवा कांटेदार तार से घिरा उपलब्ध हो।

आज्ञा से आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट

वर्ष 1989—90 में भांग की खपत तथा वर्ष 1991—92 में अनुमानित खपत के आंकड़े

क्रमांक	चार्ज का नाम	ठेके के क्षेत्र में सम्बन्धित जिले	31 मार्च 90 को समाप्त होने वाले वर्ष की खपत (कि0ग्रा0 में)	वर्ष 91—92 की अनुमानित खपत (कि0ग्रा0 में)	नियमबद्ध गोदामों की स्थिति	जिले से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	देहरादून	देहरादून	133	1200	देहरादून	रोड द्वारा	वर्ष 1991—92 में होने वाले अनुमानित खपत का जनपदवार विवरण स्तम्भ 4 में दिया जा रहा है किन्तु थोक आपूर्तक को अपने आपूर्ति क्षेत्रों में स्थित गोदामों को उनके प्रभारी अधि0 की मॉग के अनुसार भांग की आपूर्ति करनी होगी। सरकार निकासी का कोई निश्चित आश्वासन नहीं देती है।
2.	मेरठ	मेरठ	2155	7000	मेरठ	''	
		बुलन्दशहर	585	3300	बुलन्दशहर	''	
		मुजफ्फरनगर		2000	मुजफ्फरनगर	''	
		सहारनपुर	240	2000	सहारनपुर	''	
		हरिद्वार	120	500	रूढ़की	''	
		गाजियाबाद	1415	2400	गाजियाबाद		
3.	आगरा	आगरा	20340	24000	आगरा	''	
		अलीगढ़	9045	10000	अलीगढ़	''	
		मथुरा	24037	25000	मथुरा	''	
		एटा	1892	4000	एटा / कांसगंज		
		मैनपुरी	880	3000	मैनपुरी	''	
		फिरोजाबाद	3686	4200	शिकोहाबाद	''	
4.	झॉसी	झॉसी	6268	6000	झॉसी / मऊरानीपुर		
		ललितपुर	822	700	ललितपुर		
		जालौन	2020	3600	जालौन / उरई	''	
		हमीरपुर	4365	7500	हमीरपुर / महोबा / राठ		
		बांदा	7008	16000	बांदा / कर्वी / बबेरू		
5.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	2200	3600	मुरादाबाद	''	
		रामपुर	कोई दुकान नहीं है		रामपुर		
		बिजनौर	465	1200	बिजनौर / धामपुर		
6.	नैनीताल	नैनीताल	150	500	हल्द्वानी	''	
7.	बरेली	बरेली	1385	5000	बरेली	''	
		बदायूँ	600	2500	बदायूँ	''	
		पीलीभीत	570	5000	पीलीभीत	''	
		शाहजहॉपुर	810	10000	शाहजहॉपुर	''	
8.	कानपुर	कानपुर नगर	13635	26000	कानपुर नगर	''	
		कानपुर देहात	346	10000	बिल्हौर / डेरापुर	''	
		फरूखाबाद	1845	7200	फरूखाबाद / कन्नौज		
		इटावा	4090	7600	इटावा		

9.	गोरखपुर	गोरखपुर	590	4800	गोरखपुर	रोड द्वारा
		देवरिया	109	800	देवरिया / पडरौना	
		बस्ती	150	1500	बस्ती	रोड द्वारा
		आजमगढ़	960	3000	आजमगढ़	''
		मऊ	615	1000	घोसी	''
		सिद्धार्थनगर	20	1200	दौसा	''
		महारागंज	15	600	महारागंज	''
;375द्ध						
10.	वाराणसी	वाराणसी	7249	20000	वाराणसी / ज्ञानपुर	
		गाजीपुर	763	3500	गाजीपुर	
		बलिया	140	1500	बलिया	
		जौनपुर	1335	6000	जौनपुर	
		मिर्जापुर	3185	11000	मिर्जापुर	
		सोनभद्र	3276	6500	राव्र्ट्सगंज	
11.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	12652	27000	इलाहाबाद / मेजा	
		फतेहपुर	4625	17000	फतेहपुर	
		प्रतापगढ़	4507	4000	प्रतापगढ़	
12.	लखनऊ	लखनऊ	8125	13000	लखनऊ	रोड द्वारा
		रायबरेली	3163	10000	रायबरेली	''
		सीतापुर	2340	10000	सीतापुर / सिंधौली	
		हरदोई	1035	14000	हरदोई / संडीला	
		लखीमपुर	1336	8000	खीरी / पलिया	
					मोहम्मदी / निघासन	
		उन्नाव	3557	17000	उन्नाव / पुरवा	
13.	फैजाबाद	फैजाबाद	595	2000	फैजाबाद	''
		गोण्डा	312	2000	गोण्डा	''
		बहराईच	390	1500	बहराईच	''
		सुल्तानपुर	1616	2500	सुल्तानपुर	''
		बाराबंकी	350	1500	बाराबंकी	

नोट :— वर्ष 90—91 जनपदवार भांग की न्यूनतम गारण्टीड मात्रा का विवरण संलग्न है वर्ष 1991—92 हेतु न्यूनतम गारण्टीड मात्रा गत वर्ष की अपेक्षा अधिक निर्धारित होगी।

वर्ष 1990—91 के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों मांग की दुकानों के लिए भांग की न्यूनतम गारण्टीड मात्रा निम्नवत निर्धारित है :—

क्रमांक	जनपद का नाम	वर्ष 90—91 के लिए निर्धारित न्यूनतम गारण्टीड मात्रा (कि0ग्रा0 में)	क्रमांक	जनपद का नाम	वर्ष 90—91 के लिए निर्धारित न्यूनतम गारण्टीड मात्रा (कि0ग्रा0 में)
1	2	3	1	2	3
1—	इलाहाबाद	26160	22—	लखनऊ	12370
2—	प्रतापगढ़	3580	23—	सीतापुर	9411
3—	फतेहपुर	16060	24—	रायबरेली	9440
		45800	25—	खीरी	7880
			26—	उन्नाव	16240
4—	वाराणसी	18120	27—	हरदोई	13690
5—	मिर्जापुर	10500			69031
6—	सोनभद्र	6330			
7—	बलिया	1430	28—	कानपुर नगर	25670
8—	गाजीपुर	3280	29—	कानपुर देहात	9900
9—	जौनपुर	5180	30—	फरूखाबाद	7120
		44760	31—	इटावा	7520
					50210
10—	गोरखपुर	4724			
11—	महाराजगंज	576	32—	झाँसी	5770
12—	देवरिया	710	33—	बांदा	15710
13—	आजमगढ़	2650	34—	जालौन	3300
14—	मऊ	940	35—	हमीरपुर	7260
15—	बस्ती	1350	36—	ललितपुर	690
16—	सिद्धार्थनगर	1170			32730
		12120			
			37—	आगरा	23300
17—	फैजाबाद	1530	38—	फिरोजाबाद	4070
18—	गोण्डा	1980	39—	अलीगढ़	9570
19—	बहराइच	1370	40—	मथुरा	15860

20—	बाराबंकी	1440	41—	एटा	3870
21—	सुल्तानपुर	2380	42—	मैनपुरी	2660
		8600			593300

क्रमांक	जनपद का नाम	वर्ष 90—91 के लिए निर्धारित न्यूनतम गारण्टीड मात्रा (कि0ग्रा0 में)	क्रमांक	जनपद का नाम	वर्ष 90—91 के लिए निर्धारित न्यूनतम गारण्टीड मात्रा (कि0ग्रा0 में)
1	2	3	1	2	3
43—	बरेली	4760	53—	मुरादाबाद	3040
44—	शाहजहांपुर	9260	54—	बिजनौर	1110
45—	बदायूं	2400			4150
46—	पीलीभीत	4680			
		21100	55—	देहरादून	1070
			56—	नैनीताल	490
47—	मेरठ	6720		प्रदेश का सम्पूर्ण योग	365541
48—	बुलन्दशहर	3170			
49—	मुजफ्फरनगर	2000			
50—	सहारनपुर	1740			
51—	हरिद्वार	360			
52—	गाजियाबाद	2160			
		16150			

आज्ञा से
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
इलहाबाद